

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उपरोक्त शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उपरोक्त लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : २५ जुलाई, 2018

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-३७ में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-बस्ती की 23 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-५२२७/१३/१०/छ/विविध/२०१७-१८, दिनांक २२ मार्च, २०१८ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत जनपद-बस्ती की न००पा०परि० बस्ती एवं न००प०, रुधौली, बम्नान तथा हर्रिया की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 23 परियोजनाओं हेतु कुल रु० 405.27 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित धनराशि रु० 202.635 लाख (दो करोड़ दो लाख तिरसठ हजार पाँच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-११७/२०१७/१२७९/६९-१-१७-१४(३१)/२०१२टीसी, दिनांक २६ अक्टूबर, २०१७ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
२. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
३. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
४. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....२

मौजूदा वार्ता पत्र अध्येता:

२८/८/१८
२७/८/१८

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
 16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पत्र संख्या-ई-8-2180/दस-2018, दिनांक 19 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय,
25/7/18

(अनिल कुमार बाजपेही)
विशेष सचिव।

संख्या-4/1/2018/616(1)/69-1-18, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय राजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बस्ती।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द बहमचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-५८७/2018/616(1)/69-1-18-82(मु030-37)/2018, दिनांक २५ जुलाई, 2018
का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	बस्ती	न०पा०परि० बस्ती	वार्ड नं० 11 पठान टोला में प्रभावती देवी के मकान से सचिदानन्द वकील के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.31	11.155
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 11 पठान टोला में राधेश्याम कन्नौजिया के मकान से सलीम सलमानी के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.63	9.815
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 11 पठान टोला में फिरोज इसकी के मकान से नरहरिया पुलिया तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	45.29	22.645
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 11 पठान टोला में हरिशम सुर्ती वाले के मकान से बालक राम सराफ के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.63	7.815
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 11 पठान टोला में बीरबल के मकान से लक्ष्मी गुप्ता के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.10	4.05
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 11 पठान टोला में धाऊ धोबी के मकान से राम चन्द्र गुप्ता के मकान होते हुए अनिल सोनी के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.29	3.645
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 13 महरीखांवा से निरीक्षण भवन लोक निर्माण बस्ती के बांडी वाल से लोक निर्माण विभाग के कालोनी तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	38.34	19.17
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 16 कम्पनी बाग में उपजिलाधिकारी आवास के पीछे गांधी कला भवन गेट तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.27	11.635
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 05 पिकौरा शिवगुलाम में मुख्य मार्ग पर स्थित प्रह्लाद टावर से उर्मिला स्कूल तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18.18	9.09
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 05 पिकौरा शिवगुलाम में डा० गौड़ के अस्पताल से मालिक राम यादव के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.95	6.475
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 19 ओरीजात जयपुरवा में शिवलाल जायसवाल के मकान से दिनेश धर दुबे के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.27	5.635

12	बस्ती	न0प0, रुधौली	वार्ड नं0 14 शास्त्री नगर में घनशयाम के घर से चन्द्र के घर होते हुए मंगरु के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.18	4.59
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 12 गांधी नगर में राजेश पाण्डेय के घर से सुभाष के घर होते हुए विश्वनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.93	2.965
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 08 इन्द्रा नगर में मनोज इंफार्मेशन सेंटर से धिनक के घर होते हुए इंद्रावती के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.14	2.57
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 07 शांती नगर में चौरसिया टायर हाउस से आविदा खातून के अस्पताल होते हुए प्रधान प्रिंटिंग प्रेस तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.31	8.155
16	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 05 दीनदयाल उपाध्याय नगर में जुग्गीलाल के घर से रामदीन के घर होते हुए मुरारीलाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.64	4.82
17	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 01 अम्बेडकर नगर में रामबली के घर से रमेशर के घर होते हुए राजदेव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.95	1.975
18	बस्ती	न0प0, बझनान	वार्ड नं0 04 भगत सिंह नगर में नील प्रधान के घर से भगवती के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.45	7.225
19	बस्ती	न0प0, हरैया	वार्ड नं0 06 मोती नगर में कोहले मौड़ से भुईधर चौधरी के मकान होते हुए राकेश सिंह कृष्ण कुमार सिंह एवं मनीष के मकान बगल से गोपाल सिंह के मकान के पीछे तक भिट्ठी पटाई, इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	33.17	16.585
20	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 06 मोती नगर में कोहले मौड़ से लिटिल फ्लावर स्कूल की ब्राउण्ट्रीवाल के बगल से सफाई कर्मचारी आवास तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.72	12.86
21	बस्ती	न0प0प0, बस्ती	मो0 पुराना डाकखाना में श्रीराम पढ़िल स्कूल के पीछे हरिजन बस्ती में सनेही प्रसाद के मकान से मिदधू के मकान होते हुए जुगनू के मकान एवं अन्य गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.17	9.585
22	तदैव	तदैव	मो0 नरहरिया (बनरही) में रामप्रकाश के घर से राजू के घर होते हुए राजकुमार के घर तक व अन्य गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.17	9.585
23	तदैव	तदैव	मो0 नरहरिया (बनरही) में रामदीन के गैरेज से परमात्मा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	21.18	10.59
योग				405.27	202.635

(दो करोड़ दो लाख तिरसठ हजार पाँच सौ मात्र)।


(अखिलानन्द बहमचारी)

अनु सचिव।